उडीसा राज्य और अन्य

बनाम

मैसर्स एशियाटिक गैस लिमिटेड

16 मई, 2007

[एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जेजे.]

उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम,1947; धारा 2(डी) (एच) 2 (जी) (iv):

सिलेंडर भरकर मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसों की बिक्री - बिक्री मूल्य-सिलेंडरों के अधिक प्रतिधारण के लिए शुल्क का समावेशन-की शुद्धता-अभिनिर्धारित: विचाराधीन वस्तु में संपत्ति, अर्थात।, चिकित्सा ऑक्सीजन/औद्योगिक गैसें कंटेनरों के बिना ग्राहकों को नहीं मिल सकती थीं-इस प्रकार, पात्र/सिलेंडर अपनी सामग्री के साथ माल का गठन करते हैं-जब माल था। ग्राहक को ऋण पर दिए जाने पर माल का उपयोग करने का अधिकार अस्तित्व में आता है-जैसे ऋण 14 दिनों के लिए शुल्क के भुगतान से मुक्त था-उसके बाद लगाए गए अधिक प्रतिधारण शुल्क-इस तरह का शुल्क विचार के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर था-इसलिए, एस के संदर्भ में। 2 (जी) (iv) बिक्री कर लगाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित बिक्री मूल्य में शामिल प्रतिधारण शुल्क-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 366 (29) (ए) (डी)।

निर्धारिती ने चिकित्सा के निर्माण और बिक्री में व्यवसाय किया सिलेंडर भरकर ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसें। निर्धारिती ने संग्रह किया निर्धारण वर्ष 1986-87 के दौरान अपने ग्राहकों से गैस सिलेंडरों के अधिक प्रतिधारण के लिए निश्चित राशि। इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उक्त राशि उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित बिक्री मूल्य में शामिल थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1. वर्तमान मामले में विचाराधीन वस्तु चिकित्सा है। ऑक्सीजन/ औद्योगिक गैसें। उक्त वस्तु के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है और यह कंटेनरों के बिना बेचा नहीं जा सकता है। माल में गुण (ऑक्सीजन /गैस) ऐसे कंटेनरों के बिना ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, पात्र विचाराधीन वस्तु का एक अभिन्न अंग हैं। [पैरा 4] [1185-बी, सी]

1.2. गैस/ऑक्सीजन नामक अपनी सामग्री के साथ सिलेंडर 'माल' का गठन करता है। निर्धारिती और ग्राहक के बीच अनुबंध के तहत, ग्राहक के लिए गैस सिलेंडर खरीदने या ऋण पर उधार लेने की छूट थी निर्धारिती से। पहले 14 दिनों के लिए ऋण किसी भी शुल्क के भुगतान से मुक्त था। हालांकि, इसके बाद निर्धारिती द्वारा एक निश्चित राशि लगाई गई थी। अधिक प्रतिधारण के लिए शुल्क के रूप में। विवादित निर्णय के अनुसार अधिक प्रतिधारण के लिए उक्त शुल्क ग्राहक पर लगाए गए जुर्माने की

प्रकृति का था ताकि ग्राहक को सिलेंडर रखने से रोका जा सके। निर्धारिती को खाली सिलेंडरों को वापस करने की आवश्यकता थी ताकि उक्त सिलेंडरों को फिर से भरा जा सकता है और ऋण के माध्यम से बेचा/स्थानांतरित किया जा सकता है। [पैरा 4] [1185-डी, ई, एफ]

1.3. जब सामान (मेडिकल ऑक्सीजन वाला सिलेंडर) दिया गया था। ग्राहक को ऋण देने पर उक्त माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण अस्तित्व में आया। ऐसा हो सकता है कि पहले 14 दिनों के लिए उक्त ऋण किसी भी शुल्क के भुगतान से मुक्त हो। हालांकि, भुगतान से छूट माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण की अवधारणा के खिलाफ नहीं होगी। [पैरा 4] [1185-एफ, जी]

1.4. उच्च न्यायालय धारा 2 (जी) (iv) के प्रावधानों पर ध्यान देने में विफल रहा है। उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, जिसमें कहा गया है कि बिक्री का अर्थ नकद या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण होगा और इसमें किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण शामिल होगा, चाहे वह नकद, आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (29ए) (डी) के संदर्भ में क़ानून पर धारा 2 (जी) (iv) को रखा गया था। [पैरा 4] [1185-जी, एच; 1186-ए]

2. मेडिकल ऑक्सीजन/औद्योगिक गैस से भरे सिलेंडर ग्राहकों को ऋण दिया गया। यह ऋण 14 दिनों के लिए शुल्क के भुगतान से मुक्त था। अधिक प्रतिधारण शुल्क 14 दिनों के बाद लगाया गया था। इन परिस्थितियों में शुल्क विचार के लिए माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर था। [पैरा 4] [1186-सी]

अग्रवाल ब्रोदर्स बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा और अन्य [1999] 9 एससीसी 182 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6482/2001।

उडीसा उच्च न्यायालय, कटक के 1996 के एस.जे.सी. संख्या 157 अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.09.2000 से।

अल्ताफ अहमद, ए.एस.जी., जन कल्याण दास और अविजीत भुजबल अपीलार्थी के लिए।

यशबंत दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरविंद तिवारी और सुभाष शर्मा उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय कपाडिया, जे. द्वारा दिया गया था।

(1) यह दीवानी अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है और उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 1996 के एस.जे.सी. सं. 157 में पारित आदेश दिनांक 21.9.2000 में कहा गया है कि गैस सिलेंडरों के अधिक प्रतिधारण के लिए निर्माता द्वारा प्राप्त प्रतिफल 'बिक्री मूल्य' का गठन नहीं करता है जैसा कि

उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित किया गया है। विवादित निर्णय के अनुसार सिलेंडरों के उपयोग के अधिकार का कोई हस्तांतरण नहीं था और यह कि गैस सिलेंडरों के अधिक प्रतिधारण के लिए प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा लगाया गया शुल्क जुर्माने की प्रकृति का था, और इसलिए, यह 1947 के अधिनियम की धारा 2 (एच) में परिभाषित बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं था। विवादित फैसला दिया गया है। जिसको विभाग द्वारा चुनौती दी गई।

(2) इस दीवानी अपील में निर्धारण के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है। यह है कि क्या उक्त 1947 अधिनियम की धारा 2 (जी) (iv) के तहत 'बिक्री' शब्द की विस्तारित परिभाषा के तहत विचार के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया गया था, जिसमें उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण की अवधारणा शामिल है। अनुच्छेद 366 (29ए) (डी) से कोई भी माल।

(3) निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती एक पंजीकृत विक्रेता था। 1986-87 उस वर्ष के दौरान इसने सिलेंडर भरकर चिकित्सा ऑक्सीजन और औद्योगिक गैसों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय किया। निर्धारिती ने गैस सिलेंडरों के अधिक प्रतिधारण के लिए उपरोक्त वर्ष के दौरान अपने ग्राहकों से 500 (लगभग) एकत्र किए। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या उक्त राशि उक्त अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित बिक्री मूल्य में शामिल थी। इस संबंध में हमने निर्धारिती और उसके ग्राहकों के

बीच अनुबंध की जांच की है। अनुबंध के खंड 3 में यह प्रावधान किया गया था कि निर्धारिती चिकित्सा ऑक्सीजन वाले सिलेंडर वितरित करेगा और दो सप्ताह की निर्दिष्ट अवधि के बाद खरीदारों से खाली सिलेंडर एकत्र करेगा। अनुबंध के खंड (iv) में निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता/खरीदार (ग्राहक) प्रतिभूति के रूप में कुछ राशि जमा करेगा जो समाप्ति पर वापस कर दी जाएगी। अनुबंध से। उक्त खंड में आगे कहा गया है कि जमा की गई प्रतिभूति की वापसी ग्राहक द्वारा अच्छी स्थिति में सिलेंडर वापस करने के अधीन थी। अनुबंध के खंड (v) में प्रावधान किया गया है कि सिलेंडर निर्धारिती की संपत्ति थी; कि यह किसी भी राज्य के भुगतान से मुक्त 14 दिनों के लिए ऋण पर दिया गया था। शुल्क; कि यदि ग्राहक उक्त सिलेंडरों को 14 दिनों की अवधि से अधिक समय तक अपने पास रखते हैं तो ग्राहक को इस संबंध में प्रतिदिन 0.50 पैसे का भुगतान करना होगा। प्रत्येक सिलेंडर का एक निश्चित संख्या में दिनों के लिए और उसके बाद 2 रुपये प्रति दिन। सिलेंडर के नुकसान या क्षति की स्थिति में ग्राहक को निर्धारिती को इस तरह के नुकसान की भरपाई अनुसूची के संदर्भ में करने की आवश्यकता थी। अनुबंध। उक्त अनुबंध के संदर्भ में वर्ष 1986-87 के दौरान एकत्र किए गए Rs.42,500 (लगभग) से अधिक प्रतिधारण के लिए शुल्क के रूप में ऊपर बताया जाए। उनके ग्राहक।

(4) हम विभाग द्वारा दायर इस दीवानी अपील में योग्यता पाते हैं। सबसे पहले, वर्तमान मामले में विचाराधीन वस्तु चिकित्सा-ऑक्सीजन/ औद्योगिक गैसें हैं। उक्त वस्तु के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है। उक्त वस्तु को पात्रों के बिना नहीं बेचा जा सकता है। माल में गुण (ऑक्सीजन/गैस) नहीं हो सकता है। ऐसे कंटेनरों के बिना ग्राहकों को पास करें। इसलिए, पात्र विचाराधीन वस्तु का एक अभिन्न अंग हैं। 'माल' शब्द को धारा 2 (डी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ कार्रवाई योग्य दावों, शेयरों, प्रतिभूति और शेयरों के अलावा सभी प्रकार की चल संपत्ति है और इसमें उपयोग की जाने वाली वस्तुएं शामिल हैं। शब्द "चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में"। इसलिए वस्तुओं में वह होता है जिसे 'समग्र व्यक्तित्व' कहा जाता है। वर्तमान मामले में उक्त सिलेंडर अपनी सामग्री गैस/ऑक्सीजन के साथ मिलकर 'माल' का गठन करते हैं। दूसरा, यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान मामले में अनुबंध के तहत यह खुला था। ग्राहक को गैस सिलेंडर खरीदना है या निर्धारिती से ऋण पर लेना है। पहले 14 दिनों के लिए ऋण किसी भी शुल्क के भुगतान से मुक्त था। हालांकि, इसके बाद निर्धारिती द्वारा अधिक प्रतिधारण के लिए शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि लगाई गई थी। विवादित निर्णय के अनुसार अधिक प्रतिधारण के लिए उक्त शुल्क ग्राहक पर लगाए गए जुर्माने की प्रकृति का था ताकि ग्राहक को सिलेंडर रखने से रोका जा सके। निर्धारिती को खाली सिलेंडरों को वापस करने की आवश्यकता थी ताकि उक्त सिलेंडरों को फिर से भरा जा सके और ऋण के माध्यम से बेचा/हस्तांतरित किया गया।

हमारे विचार में जब उक्त माल (चिकित्सा ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर) ग्राहक को ऋण पर दिया गया था, तो उक्त माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण अस्तित्व में आया। ऐसा हो सकता है कि पहले 14 दिनों के लिए उक्त ऋण किसी भी शुल्क के भुगतान से मुक्त हो। हालांकि, भुगतान से छूट माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण की अवधारणा के खिलाफ नहीं होगी। तीसरा, विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय धारा 2 (जी) (iv) के प्रावधानों पर ध्यान देने में विफल रहा है, जिसमें कहा गया है कि बिक्री का अर्थ नकद या स्थगन भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण होगा और इसमें किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण शामिल होगा, चाहे वह नकद, आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं। अंत में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 2 (जी) (iv) को क़ानून [2007] 6 एस. सी. आर. पर रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 366 (29ए) (डी) के संदर्भ में। अग्रवाल ब्रदर्स बनाम के मामले में। हरियाणा और अन्र राज्य। , [1999] 9 एस.सी.सी. 182 इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि हरियाणा की धारा 2 (1) (iv) के तहत प्रावधान सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (जो इस अधिनियम की धारा 2 (छ) (iv) के समान था) स्पष्ट रूप से "वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण" की बात की गई थी न कि "हस्तांतरण" की। सामान '। उस मामले में निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा 2 (1)

(iv) के अर्थ के भीतर एक मानित बिक्री के मामले में माल का कानूनी हस्तांतरण होना चाहिए। इस तर्क को इस न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर का अधिरोपण स्वयं माल के हस्तांतरण पर नहीं था, बल्कि यह शुल्क विचार के लिए ऐसे गोड्स का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर था। हमारे विचार में, अग्रवाल मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होगा। वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सिलेंडरों से भरा गया है। ग्राहकों को मेडिकल ऑक्सीजन/औद्योगिक गैस ऋण पर दी गई थी। यह ऋण 14 दिनों के लिए शुल्क के भुगतान से मुक्त था। अधिक प्रतिधारण शुल्क 14 दिनों के बाद लगाया गया था। इन परिस्थितियों में शुल्क विचार के लिए माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर था।

(5) वनहीन कारणों से, हम विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं और इसके द्वारा लागत के बारे में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दें।

एस.के.एस. अपील की अनुमति दी गई।